रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-16122025-268542
SG-DL-E-16122025-268542

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 385]	दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 10, 2025/अग्रहायण 19, 1947	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 373
No. 385]	DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 10, 2025/AGRAHAYANA 19, 1947	[N. C. T. D. No. 373

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

शिक्षा निदेशालय

(समावेशी शिक्षा शाखा)

अधिसूचना

दिल्ली, 4 दिसम्बर, 2025

फा0सं0 145/डी.डी.ई.(आईईबी)/प्रशा. प्रकोष्ठ/2021/6235.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना सं. फा. 27/59–एचआईएम (i) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्द्वारा शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में विशेश शिक्षक (प्राथमिक) के पद हेतु निम्नलिखित भर्ती नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :–** (1) इन नियमों को विशेश शिक्षक (प्राथमिक) भर्ती नियमावली, 2023 कहा जाएगा।

   (2) ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर :–** उक्त पद की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

3. **भर्ती पद्धति, आयु सीमा तथा योग्यता इत्यादि :–** उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यता एवं इससे संबंधित अन्य मामलें उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 13 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. **अयोग्यता :–** ऐसा कोई भी व्यक्ति

(क) जो किसी व्यक्ति के जीवित पति/पत्नी के होते हुए विवाह करता है या विवाह का अनुबंध करता है, या
(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं किसी ऐसे व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।

5. **शिथिल करने की शक्ति :–**जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए आदेश द्वारा व्यक्तियों की किसी श्रेणी या वर्ग के इन नियमों के किसी उपबंध को छूट दे सकती है।

6. **बचावः–** इन नियमों में किसी उल्लेख से सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

<table>
<tr><td>1.</td><td>पदनाम</td><td colspan="4">विशेष शिक्षक (प्राथमिक)</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>पदों की संख्या</td><td colspan="4">450 (2023) *इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>वर्गीकरण</td><td colspan="4">सामान्य केन्द्रीय सेवा, अलिपिकीय, अराजपत्रित, समूह–ख</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>वेतन मैट्रिक्स में स्तर</td><td colspan="4">6
अभ्युक्ति :वेतन मैट्रिक्स में स्तर–6(35,400–1,12,400/–रुपये)</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>क्या चयन पद है/गैर चयन पद</td><td colspan="4">लागू नहीं</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा</td><td colspan="4">30 वर्षों से अधिक नहीं (केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसरण में सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक शिथिलनीय।)

6(क) निर्णायक विवरणः

आयु सीमा निर्धारण हेतु निर्णायक तिथि सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथाविज्ञापित होगी।</td></tr>
<tr><td rowspan="5">7.</td><td rowspan="5">सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं</td><td colspan="2">अनिवार्य</td><td colspan="2">वांछनीय</td></tr>
<tr><td>योग्यता</td><td>अनुभव</td><td>योग्यता</td><td>अनुभव</td></tr>
<tr><td rowspan="3">1. 12वीं कक्षा उत्तीर्ण तथा दिव्यांगता की किसी भी श्रेणी में विशेष शिक्षा में दो वर्ष का डी.एड।

या

12वीं कक्षा उत्तीर्ण तथा दिव्यांगता की किसी भी श्रेणी में एक वर्ष का विशेष शिक्षा में डिप्लोमा (डीएसई)।

या</td><td rowspan="3">लागू नहीं</td><td>लागू नहीं</td><td>लागू नहीं</td></tr>
<tr><td>योग्यता मानक टीप</td><td>अनुभव मानक टीप</td></tr>
<tr><td>अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में योग्यताएं कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए संघ लोक सेवा आयोग के विवेक</td><td>लागू नहीं</td></tr>
</table>

		विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा में 6 माह के प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम सहित समुदाय आधारित पुनर्वास में डप्लोमा(डीसीबीआर)। या विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा में 6 माह के प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम सहित समुदाय आधारित पुनर्वास में स्नातकोत्तोर डप्लोमा (पीजीडीसीबीआर)। या विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा में 6 माह के प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम सहित बहुउद्देशीय पुनर्वास कार्यकर्ता (एमआरडब्ल्यू) में डिप्लोमा। या बधिर शिक्षण में जूनियर डिप्लोमा। या दृष्टि दोष में प्राथमिक स्तर शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम या विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा में 6 माह के प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम सहित व्यावसायिक पुनर्वास–मानसिक मंदता में डिप्लोमा (डीवीआर–एमआर)/ व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं रोजगार मानसिक मंदता में डिप्लोमा (डीवीटीई–एमआर)। या विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा में 6 माह के प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम सहित श्रवण भाषा एवं भाषण में डिप्लोमा (डीएचएलएस)। या किसी आरसीआई से न्यूनतम एक वर्ष की अवधि की मान्यता प्राप्त		पर शिथिलनीय हैं।	

		योग्यता सहित 12वीं कक्षा उत्तीर्ण तथा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा में 6 माह के प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम। या आरसीआइ द्वारा अनुमोदित कोई अन्य समकक्ष योग्यता। या 2. केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) द्वारा आयोजित केन्द्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटीईटी) (प्राथमिक स्तर) में अर्हता प्राप्त। सीटीईटी में आरक्षित श्रेणियों जैसे अनु0जा0/अनु0जन0/अ0पि0व0/ शारीरिक रूप से अक्षम से संबंधित उम्मीदवारों को अर्हक अंकों में 5 प्रतिशत तक की छूट की अनुमति दी जाएगी। 3. भारतीय पुनर्वास परिषद् (आरसीआई) में पंजीकरण।			
8.	**क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।**	**आयु :** लागू नहीं **शैक्षिक योग्यता :** लागू नहीं			
9.	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है**	02 वर्ष अभ्युक्तिः टीपः परिवीक्षा पूर्ण करने हेतु कम से कम दो सप्ताह की अवधि या संवर्ग प्राधिकारी द्वारा यथानिर्धारित अनिवार्य प्रेरक प्रशिक्षण सफलता पूर्वक पूर्ण करना पूर्वापेक्षित होगा।			
10.	**भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत**	**पद्धति**	**प्रतिशत**		
		सीधी भर्ती द्वारा **<u>टीप</u> :** पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर चले जाने या दीर्घकालिक रूग्णता या अध्ययन अवकाश या अन्य परिस्थितियों के कारण एक वर्ष की अवधि या अधिक अवधि के लिये हुई रिक्तियां केन्द्र सरकार के अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति आधार पर (क)(i) समरूप पदधारी; या (ii) वेतन मेट्रिक्स के स्तर–5 के पद में 6 वर्षों की नियमित सेवा सहित; तथा (ख) कॉलम 7 के अन्तर्गत सीधी भर्ती वाले उम्मीदवार हेतु निर्धारित योग्यताएं तथा अनुभव रखने वाले में से भरी जा सकेगी।	100		

11.	**यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है**	लागू नहीं **मानक टीप :** लागू नहीं	
12.	**यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो, तो इसकी संरचना क्या है।**	**विभागीय पदोन्नति समिति** लागू नहीं	**विभागीय स्थायीकरण समिति** 1. प्रधान सचिव/सचिव (शिक्षा) – (अध्यक्ष) 2. प्रधान सचिव/सचिव (श्रम) – (सदस्य) 3.विशेष सचिव/अपर सचिव/निदेशक (टी.टी.ई.) –(सदस्य)
13.	**वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।**	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाना आवश्यक नहीं है।	

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
सुश्री पाटिल प्रांजल लाहेनसिंह, अपर निदेशक

DIRECTORATE OF EDUCATION

(**Inclusive Education Branch**)

NOTIFICATION

Delhi, the 4th December, 2025

F. No. 145/DDE(IEB)/Admn.Cell/2021/6235.—In exercise of the Powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, read with the Govt. of India, Ministry of Home Affair's Notification No.F.27/59-Him(i) dated 13th july, 1959, the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi, is pleased to make following Recruitment Rules for the post of Special Educator (Primary) in the Directorate of Education, Government of National Capital Territory of Delhi, namely :-

1. **Short title and commencement:**

   (i) These rules may be called Special Educator (Primary) Recruitment Rules, 2023.

   (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. **Number of posts, classification and pay level in the Pay Matrix.** – The number of the said post, its classification and pay level in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in Columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualification etc.** – The method of recruitment to the said post, age limit, qualification and other matter connected therewith, shall be as specified in columns 5 to 13 of the said schedule.

4. **Disqualifications –** No person.

   a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

   b) Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with a person;

shall be eligible for appointment to the said post.

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax** – Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may be order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving** – Nothing in these rules shall effect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, and other special categories of persons in accordance with the order issued by the Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

<table>
<tr><td>1.</td><td>Name of post</td><td colspan="4">Special Educator (Primary)</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>No of posts</td><td colspan="4">450 (2023)* Subject to variation dependent on workload</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Classification</td><td colspan="4">General Central Service Non Ministerial Non-Gazetted Group, B</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Pay Level in the Pay Matrix</td><td colspan="4">6
Remark: Level-6 (Rs.35,400 – 1,12,400/-) in the pay matrix.</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>Whether Selection post/ Non Selection Post</td><td colspan="4">Not Applicable</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>Age Limits for Direct Recruits.</td><td colspan="4">Not exceeding 30 Years (relaxable for govt. servants upto 5 years in accordance with instructions or orders issued by central govt.).

6(a) Crucial description :
The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Competent Authority.</td></tr>
<tr><td rowspan="5">7.</td><td rowspan="5">Educational and other Qualification required for direct recruits</td><td colspan="2">Essential</td><td colspan="2">Desirable</td></tr>
<tr><td>Qualification</td><td>Experience</td><td>Qualification</td><td>Experience</td></tr>
<tr><td rowspan="3">1. XIIth passed and Two year D.Ed Special Education in any of the category of disability.

or

XIIth passed and One year Diploma in Special Education (DSE) in any of the category of disability.

or

Diploma in Community Based Rehabilitation (DCBR) with 6 months Certificate course in Education of Children with Special Needs.

or

Post Graduate Diploma in Community Based Rehabilitation (PGDCBR) with 6 months Certificate course in Education of Children with Special Needs.

or

Diploma in Multi Rehabilitation Worker (MRW) with 6 months Certificate Course in Education of Children with Special Needs.

or</td><td rowspan="3">NA</td><td>NA</td><td>NA</td></tr>
<tr><td>Qualification Standard Note</td><td>Experience Standard Note</td></tr>
<tr><td>Qualifications are relaxable at the discretion of the U.P.S.C for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.</td><td>NA</td></tr>
</table>

		Junior Diploma in Teaching the Deaf. or Primary level Teacher Training course in Visual Impairment. or Diploma in Vocational Rehabilitation-Mental Retardation (DVR-MR) / Diploma in Vocational Training and Employment Mental Retardation (DVTE-MR) with 6 months Certificate course in Education of Children with Special Needs. or Diploma in Hearing Language and Speech (DHLS) with 6 months Certificate course in Education of Children with Special Needs. or XIIth passed with any RCI recognized qualify-cation of minimum one year duration and 6 months Certificate course in Education of Children with Special Needs. or Any other equivalent qualification approved by RCI. 2. Qualified in Central Teacher Eligibility Test (CTET) (Primary stage) conducted by Central Board of Secondary Education (CBSE). Relaxation upto 5 percent in the qualifying marks shall be allowed to candidates belonging to reserved categories such as SC/ST/OBC/PH in CTET. 3. Registration with Rehabilitation Council of India (RCI).			
8.	Whether age & educational qualification prescribed for Direct	**AGE** : NA **Edu Qual** : NA			

	Recruitment will apply in the case of promotees.		
9.	Period of probation if any	2 years Remark : Note: Successful completion of mandatory Induction Training of at least 2 weeks duration or as prescribed by the Cadre Authority shall be a pre-requisite for completion of probation.	
10.	Method of Recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	**Method**	**Percentage**
		Direct Recruitment Note: Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government. (a)(i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with 6 years regular service in posts in level 5 of the pay matrix; and (b) Possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under Col.7	100
11.	In case of recruitment by Prom/dep./abs. grades from which prom/dep./abs to be made	NA **Standard Note** : NA	
12.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	**Departmental Promotion Committee** NA	**Departmental Confirmation Committee** 1. Principal Secretary/ Secretary (Education) (chairman) 2. Pr. Secretary/ Secretary (Labour) (member) 3. Special Secretary /Addl. Secretary/Director (TTE) (member)
13.	Circumstances in which UPSC to be consulted in making recruitment	Consultation with UPSC is not necessary.	

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

MS. PATIL PRANJAL LAHENSINGH , Addl. Director (Education)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2025.12.16 16:10:18 +05'30'